2

2.1	सहकारी संस्थाओं के सिद्धांत
2.2	भारत में सहकारिता आंदोलन का इतिहास
2.3	भारत में सहकारी संस्थाओं का संवैधानिक/ढाँचा
2.4	वैश्विक संदर्भ में भारतीय सहकारी समितियाँ
2.5	भारत में सहकारी परिदृश्य
2.6	नाबार्ड के अधिदेश से ग्रामीण सहकारी संस्थाओं को सहायता
2.7	सहकारिता क्षेत्र के विकास में नाबार्ड की पहलें
2.8	आगे की राह
	अध्याय 2 का परिशिष्ट

सहकारी संस्थाएँ
चुनौतियों का समाधान, अवसरों का निर्माण

सहकारी समितियाँ जन-केंद्रित उद्यम हैं जो अपने सदस्यों के स्वामित्व में होती हैं जिनका नियंत्रण और संचालन उनके सदस्यों द्वारा, उनके सदस्यों के लिए किया जाता है ताकि उनके सदस्यों की सामान्य आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके. सहकारी समितियाँ उन लोगों की क्षमताओं को मिलाकर एक करती हैं, जिन्हें केवल अपनी क्षमता से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होती है. इस प्रकार, वे इस अर्थ में विशिष्ट संस्थाएं हैं जो आर्थिक गतिविधियों में व्यक्तिगत जोखिम को कम करेंगी, साझा उत्पादकता, मिलकर निर्णय लेने और रचनात्मक समस्या समाधान की संस्कृति का निर्माण करेंगी.

'सहकार गाँव की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए आदर्श रणनीति है; यह आत्मनिर्भर भारत की नींव है.'

—प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

2.1 सहकारी संस्थाओं के सिद्धांत

सहकारी समितियों का कामकाज कुछ उच्च कोटि के मूल्यों जैसे स्व-सहायता, स्व-उत्तरदायित्व, लोकतंत्र, समानता, पारदर्शिता और सामाजिक उत्तरदायित्व (चित्र 2.1) द्वारा संचालित होता है. ये विशेषताएँ उन्हें अन्य प्रकार के आर्थिक मॉडलों से अलग करती हैं और इसलिए वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सबसे उपयुक्त हैं

चित्र 2.1: सहकारी संस्थाओं के सात सिद्धांत

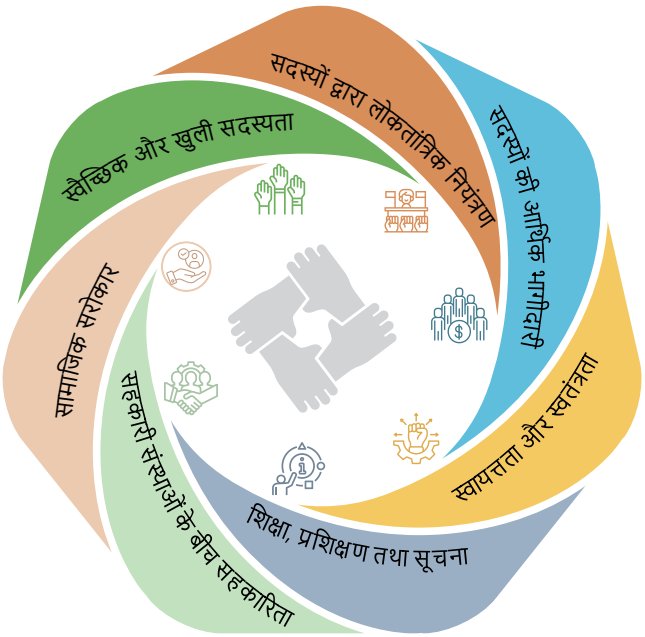

सहकारी संस्थाएं इस अर्थ में विशिष्ट संस्थाएं हैं जो साझा उत्पादकता, निर्णय लेने और रचनात्मक समस्या समाधान की संस्कृति के माध्यम से व्यवसाय की व्यक्तिगत जोखिम को कम करती हैं.

2.2 भारत में सहकारिता आंदोलन का इतिहास

सहकार की संस्कृति और सहकारी गतिविधियों की परंपरा भारतीय लोकाचार में गहराई से समाहित है. भारत में सहकारी ऋण समिति अधिनियम, 1904 के अधिनियमन द्वारा सहकारी संस्थाओं को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुए 120 वर्ष हो चुके हैं. यह कानून उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बार-बार पड़ने वाले अकालों के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पन्न व्यापक संकट को देखते हुए किसानों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के लिए पारित किया गया था. उसके बाद से सहकारी आंदोलन के इतिहास को संक्षेप में तालिका अ2.1 और चित्र 2.2 में दर्शाया गया है.

चित्र 2.2: भारत में सहकारिता आंदोलन के विकास की महत्वपूर्ण घटनाएँ

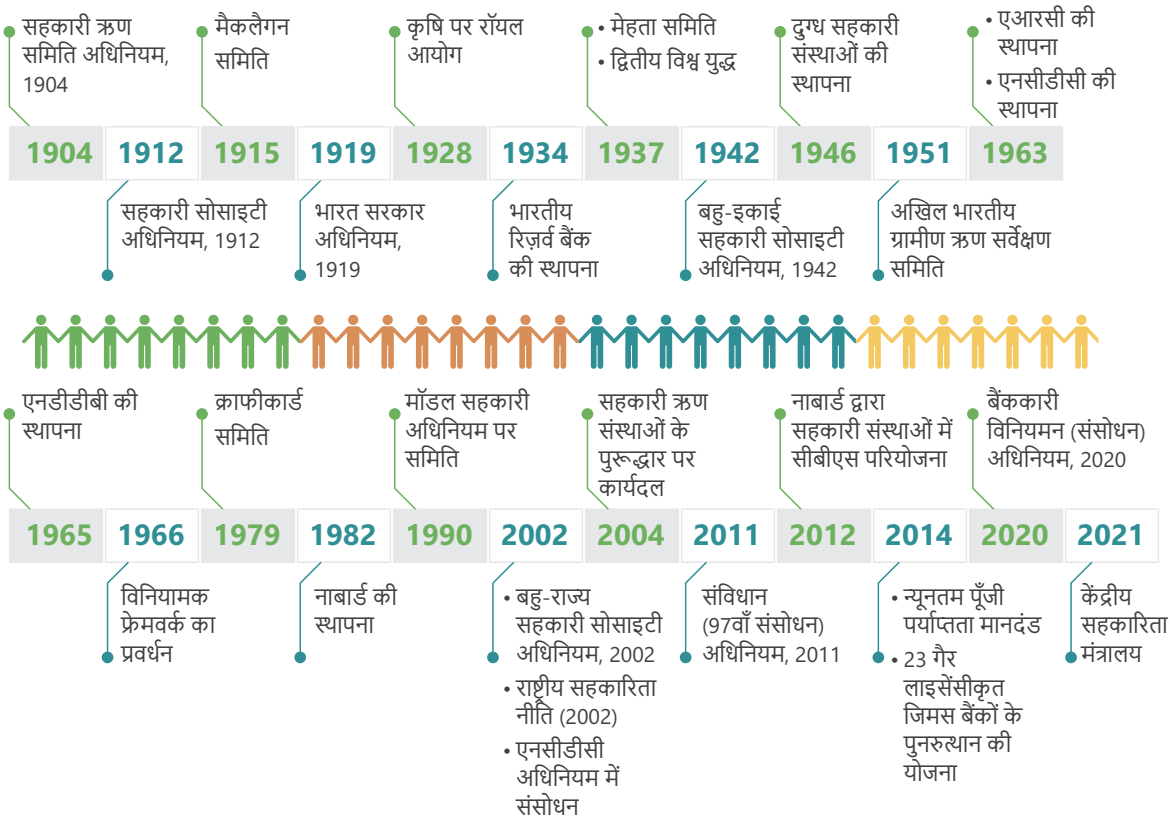

एआरसी = कृषि पुनर्वित्त निगम, सीबीएस = कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, क्राफीकार्ड = कृषि और ग्रामीण विकास हेतु संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा के लिए समिति, जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, एनसीडीसी = राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, एनडीडीबी = राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

2.3 भारत में सहकारी संस्थाओं का संवैधानिक / विधिक ढाँचा

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 32 के अंतर्गत 'सहकारी समितियाँ' राज्य का विषय है. किसी राज्य के भीतर कार्यरत सहकारी समितियाँ अपने संबंधित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी सोसाइटी अधिनियम द्वारा अभिशासित होती हैं. एक से अधिक राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत सहकारी समितियाँ भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 द्वारा अभिशासित होती हैं. संविधान (97 वां संशोधन) अधिनियम, 2011 ने नागरिकों को सहकारी समितियाँ बनाने का मौलिक अधिकार दिया और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत एक निदेश शामिल किया, जिसमें राज्य (सरकार) से यह अपेक्षित है वह सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देगी.

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत राज्य सरकारों को निदेश दिया गया है कि वे सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा दें.

सहकारी बैंक मूल रूप से सहकारी समितियाँ हैं जो संबंधित राज्य के सहकारी सोसाइटी अधिनियम या बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत की जाती हैं. सहकारी समितियों पर केंद्र और राज्यों द्वारा प्रवर्तित कानून आम-तौर पर सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन से संबंधित हैं. जब सहकारी समितियाँ बैंकिंग का कारोबार करती हैं तो वे भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ जाती हैं और उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किया जाता है.

2.4 वैश्विक संदर्भ में भारतीय सहकारी संस्थाएँ

भारत में सहकारी समितियाँ विश्व की कुल सहकारी समितियों का लगभग 27% हैं. सहकारी आंदोलन में भारतीय जनसंख्या के अनुमानत: 20% से अधिक लोगों की सहभागिता है जबकि इस सहभागिता का वैश्विक औसत 12% है.

भारतीय सहकारिता आंदोलन लगभग 8 लाख सहकारी समितियों (विश्व स्तर पर 30 लाख में से)[1] और 29 करोड़ से अधिक की सदस्य संख्या[2] के साथ दुनिया के सबसे बड़े सहकारिता आंदोलनों में से एक है. भारत में सहकारी समितयाँ, विश्व की कुल सहकारी समितियों का लगभग 27% हैं.[3] सहकारी आंदोलन में भारतीय जनसंख्या के अनुमानतः 20% से अधिक[4] लोगों की सहभागिता है जबकि इस सहभागिता का वैश्विक औसत 12% है.[5] दुनिया की 300 सबसे बड़ी सहकारी संस्थाओं (टर्नओवर /प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर) में से 15 भारत में हैं जिसमें से इफ्को शीर्ष स्थान पर है, इसके बाद अमूल है.[6] इस श्रेणी के तहत सहकारी समितियों की संख्या के मामले में भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दूसरे (जापान के बाद) और विश्व में छठे स्थान (यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील और जापान के बाद) पर है.[7] टर्नओवर के आधार पर शीर्ष 300 सहकारी संस्थाओं की सूची में इफको (72वाँ स्थान), अमूल (90वाँ स्थान), और कृभको (236वाँ स्थान) शामिल हैं.[8]

2.5 भारत में सहकारिता का परिदृश्य[9]

2.5.1 क्षेत्रीय वितरण

भारत में सहकारी संस्थाओं के दायरे में विविध प्रकार की गतिविधियाँ आती हैं जिनमें ऋण और बैंकिंग, उर्वरक, चीनी, डेयरी, विपणन, उपभोक्ता वस्तुएँ, हथकरघा, हस्तशिल्प, मत्स्यपालन, आवास आदि शामिल हैं. देश की 54% से अधिक सहकारी संस्थाएँ आवास (24%), डेयरी (17.7%), और प्राकृऋ समति–कृसे समिति–वृक्षेबउस समिति (13%) क्षेत्रों में हैं (चित्र 2-3, परिशिष्ट तालिका अ2.2).[10] इसके अतिरिक्त, सहकारी संस्थाओं के कुल सदस्यों में से 48% प्राकृऋ समतियों–कृसे समितियों–वृक्षेबउस समितियों से जुड़े हुए हैं. डेरी सहकारिताएं और उनके संघ, जिन्होंने अपने सदस्यों के समान विकास में योगदान दिया है, भारत में अत्यधिक सफल रहे हैं (शोकेस 2.1).

चित्र 2.3: सहकारी समितियों की क्षेत्र-वार संख्या (लाख में)

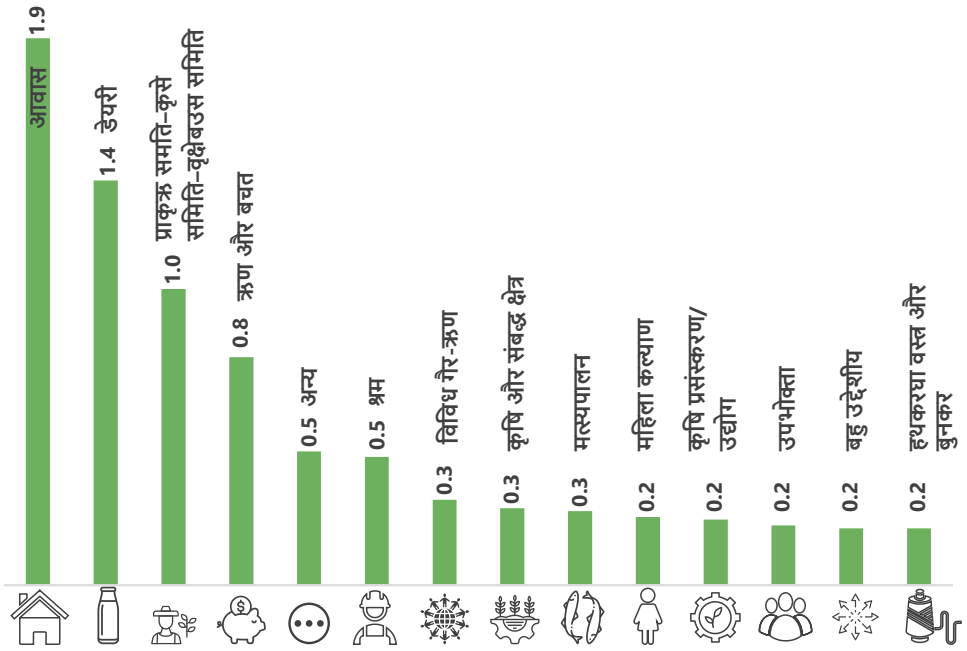

एफएसएस = कृषक सेवा समिति, एलएएमपीएस = वहद् क्षेत्र बहुउद्देश्यीय समिति, प्राकृऋ समिति = प्राथमिक कृषि ऋण समिति.

टिप्पणी: प्राकृऋ समिति तथा 'ऋण और बचत समिति' के बीच अंतर यह है कि ऋण और बचत समिति अपने सदस्यों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से सदस्यों द्वारा की गई बचतों पर निर्भर होती हैं. प्राकृऋ समितियाँ मूल रूप से बचत-केंद्रित ऋण संस्थाएँ थीं, लेकिन समय के साथ ये ऋण वितरण के चैनलों में बदल गई हैं, जो पुनर्वित्त की सुविधा प्राप्त कर ऋण वितरण का काम करती हैं और जमाराशियाँ जुटाने पर अधिक ध्यान नहीं देतीं (केरल जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर).

स्रोत: राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार. https://cooperatives.gov.in/en.

सहकारी समिति की सदस्यता संबंधी जानकारी तालिका अ2.1 में है

शोकेस 2.1: डेयरी सहकारी संस्थाएँ - एक सफल प्रयास

भारत की 'श्वेत क्रांति' का महत्वपूर्ण कारण डेयरी सहकारी संस्थाओं का गठन ही था, जिसने भारत को वैश्विक दुग्ध उत्पादनक में 24% हिस्सेदारी के साथ दूध की कमी वाले देश से दुनिया का सबसे बड़ा दूग्ध उत्पादक बना दिया.[क] भारत के सकल घरेलू उत्पाद में डेयरी क्षेत्र का योगदान 5% से अधिक है.[ख]

डेयरी सहकारी संस्थाओं के रूप में संगठित होने से पहले छोटे दुग्ध उत्पादकों के पास, मोलभाव करने की क्षमता बहुत कम थी. दुग्ध विपणन व्यवस्था पर ठेकेदारों और बिचौलियों का नियंत्रण था. दूध के जल्दी खराब हो जाने की प्रवृत्ति के कारण किसानों को उनके दूध के बदले जो भी धनराशि दी जाती थी उन्हें मजबूरन उसी राशि पर दूध को बेचना पड़ता था.

आणंद (गुजरात) से पास्चरीकृत दूध की मुंबई में आपूर्ति पर निजी डेयरी-पोलसन का एकाधिकार था. गुजरात के कैरा के डेयरी किसानों का बिचौलियों द्वारा शोषण किया जा रहा था. इन किसानों की दुर्दशा को देखते हुए सरदार वल्लभभाई पटेल ने उन्हें सलाह दी कि वे एक सहकारी समिति बनाकर स्वयं अपना पास्चरीकरण संयंत्र लगाएँ और सहकारी समिति के माध्यम से अपने दूध का विपणन करें. सरदार पटेल के मार्गदर्शन में, मोरारजी देसाई और त्रिभुवन दास पटेल ने किसानों को गांवों में प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों के रूप में संगठित करने में मदद की, जो आगे चलकर दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों के साथ बड़े डेयरी सहकारी संघ के रूप में उभरीं. यहीं से कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, आणंद (वर्तमान में अमूल) की शुरुआत हुई. इसे औपचारिक रूप से दिनांक 14 दिसंबर 1946 को पंजीकृत किया गया था.

वर्ष 1964 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की गुजरात की यात्रा के बाद वर्ष 1965 में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) का गठन किया गया, जिसका अधिदेश था - ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में 'आणंद पैटर्न' के आधार पर डेयरी सहकारी संस्थाओं के गठन में सहयोग प्रदान करना. इस कार्यक्रम को चरणबद्ध रूप से लागू किया जाना था. 'आणंद पैटर्न' प्रारंभिक रूप से एक सहकारी संरचना थी जिसमें ग्राम-स्तरीय डेयरी सहकारी समितियाँ शामिल थीं जो जिला-स्तरीय संघों का संवर्धन करती थीं, जो आगे चल कर, राज्य-स्तरीय विपणन संघ का संवर्धन करती थी. वर्ष 1970 में शुरुआत में, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने संपूर्ण भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के माध्यम से 'आणंद पैटर्न' को आदर्श मॉडल के रूप में अपनाते हुए सहकारी समितियों का विस्तार किया.

चित्र एस2.1.1: भारत में दुग्ध उत्पादन (मिलियन टन में)[ग]

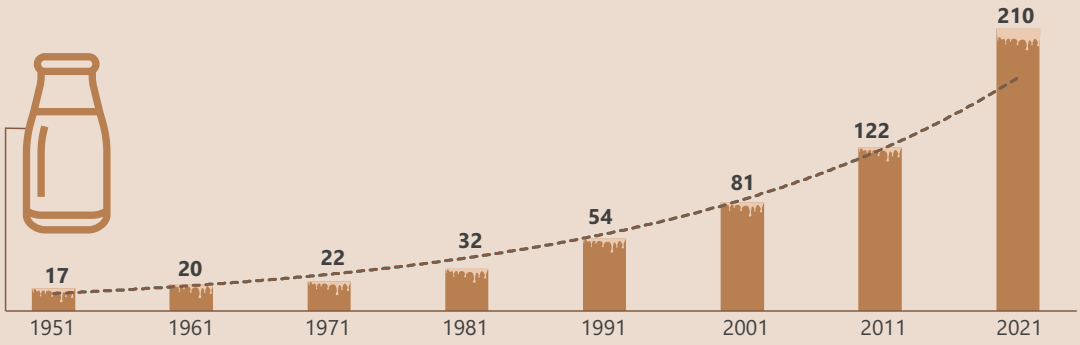

[क] पीआईबी (2023), 'वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% हिस्सेदारी के साथ भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर' - पत्र सूचना कार्यालय, दिनांक 7 मई को मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेस विज्ञप्ति. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1897084.

[ख] पीआईबी (2024), 'विश्व दुग्ध दिवस (01 जून)', पत्र सूचना कार्यालय - दिनांक 31 मई को मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेस विज्ञप्ति. https://pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=151889&ModuleId=3.

[ग] पीआईबी (2022), 'भारत में दुग्ध उत्पादन', पत्र सूचना कार्यालय - दिनांक 7 सितंबर को मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेस विज्ञप्ति https://pib.gov.in/FeaturesDeatils.aspx?NoteId=151137.

वर्ष 1970 में शुरुआत में, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने संपूर्ण भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के माध्यम से 'आणंद पैटर्न' को आदर्श मॉडल के रूप में अपनाते हुए सहकारी समितियों का विस्तार किया.

2.5.2 प्रादेशिक वितरण

भारत में 57% सहकारी संस्थाएं महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में हैं.

हालाँकि भारत में सहकारी संस्थाएँ बहुत बड़ी संख्या में हैं, लेकिन इसके राज्यों में सहकारी आंदोलन का प्रसार एक समान नहीं रहा है. अकेले महाराष्ट्र में देश की कुल सहकारी संस्थाओं की एक चौथाई से अधिक सहकारी संस्थाएँ हैं. देश में सहकारी संस्थाओं की सबसे अधिक संख्या वाले शीर्ष 5 राज्यों यथा- महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में ही कुल सहकारी संस्थाओं में से 57% से अधिक सहकारी संस्थाएँ है. (परिशिष्ट तालिका अ2.3).

चित्र 2.4: राज्यों की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में सहकारी सदस्यता (2023)

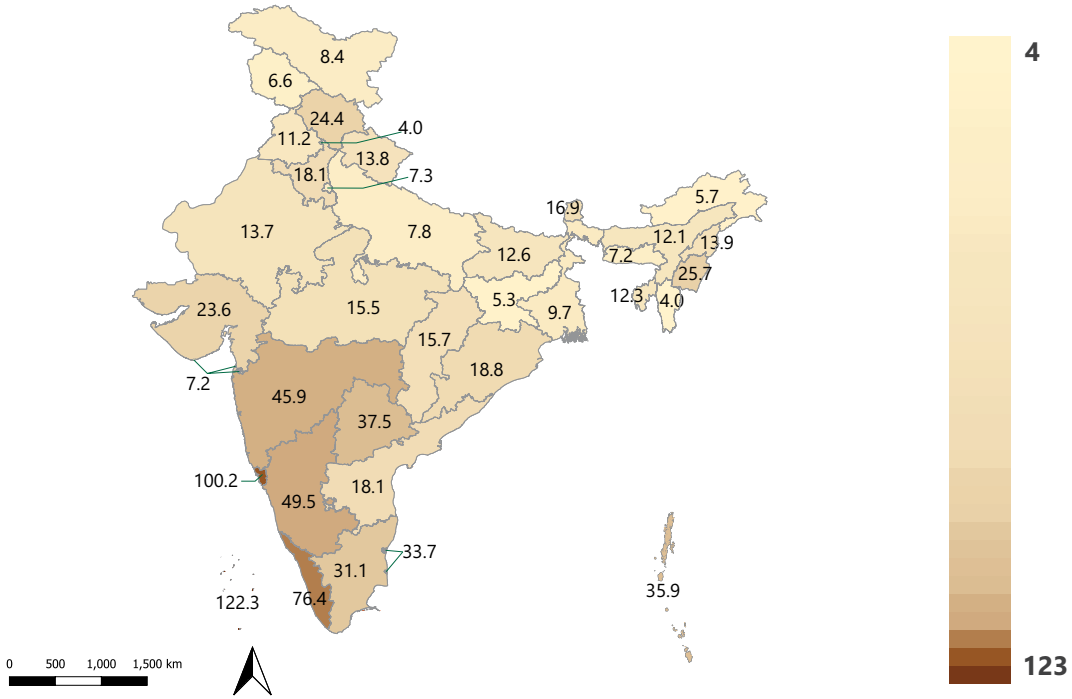

स्रोत:

- सहकारी संस्थाओं की संख्या और सदस्यता से संबंधित डेटा का स्रोत राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार. https://cooperatives.gov.in/en है.
- अनुमानित जनसंख्या का डेटा यूआईडीएआई से प्राप्त किया गया है.

बड़े राज्यों में, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना में दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में अनुमानित कुल जनसंख्या में से सहकारी संस्थाओं के सदस्य व्यक्तियों का प्रतिशत बहुत अधिक है. राज्यों की कुल जनसंख्या में सहकारी सदस्यता का प्रतिशत सबसे अधिक केरल (77%) का है, उसके बाद कर्नाटक (50%) का है तथा सबसे कम मिजोरम (4%) का है. भारत में अभी भी 18,497 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिन्हें किसी प्राकृक्र समिति द्वारा कवर नहीं किया गया है और भारत सरकार ने ऐसे प्रत्येक गाँव में सहकारी समिति स्थापित करने की केंद्रीय योजना की शुरुआत की है.[11]

2.6 नाबार्ड के अधिदेशानुसार ग्रामीण सहकारी संस्थाओं को सहयोग

ग्रामीण संस्थाओं का विकास नाबार्ड के मुख्य अधिदेशों में से एक है और यह नाबार्ड के कॉरपोरेट मिशन के वक्तव्य का एक भाग भी

है. सहकारिता क्षेत्र के विकास में नाबार्ड की भूमिका को मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है - पुनर्वित्त सहायता, विकासात्मक सहयोग, पर्यवेक्षी भूमिका और नीतिगत सहयोग (चित्र 2.5).

चित्र 2.5: ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के विकास में सहयोग हेतु नाबार्ड का अधिदेश

पुनर्वित्त सहायता
ग्रास बैंकों के संसाधनों में वृद्धि करना
कृषि में पूँजी निर्माण हेतु सहायता देना

विकासात्मक सहयोग
प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
आधारभूत संरचना हेतु सहयोग

नीतिगत सहयोग
केंद्रीय और संघीय स्तरों पर नीति अनुसंधान और कार्रवाई को सहयोग प्रदान करना

ग्रास बैंकों का पर्यवेक्षण
सांविधिक निरीक्षण
सांविधिक/ विनियामक प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करना

ग्रास बैंक = ग्रामीण सहकारी बैंक.

- **पुनर्वित्त सहायता**: नाबार्ड ग्रामीण सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है ताकि वे अपने स्रोतों को मजबूत कर सकें और कृषि, संबद्ध गतिविधियों तथा ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्रों हेतु अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण प्रदान कर सकें. ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं द्वारा संवितरित कुल आधार स्तरीय ऋण में से नाबार्ड से जुटाए गए संसाधनों का प्रतिशत 55% से अधिक है इस रिपोर्ट के भाग 6.2 – 6.5 में विवरण दिया गया है.
- **विकासात्मक सहयोग**: नाबार्ड वित्तीय वर्ष 1993 में स्थापित अपनी सहकारिता विकास निधि के माध्यम से विकासात्मक सहयोग प्रदान करता है. (इस रिपोर्ट के भाग 8.4 में विवरण दिया गया है). नाबार्ड अपनी वित्तीय समावेशन निधि (इस रिपोर्ट के भाग 6.6 में विवरण दिया गया है) के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा भी देता है.
- **नीति और कार्यान्वयन में सहयोग**:
  - पैक्स के कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना (विवरण इस रिपोर्ट के भाग 8.3.1 में दिया गया है)
  - कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (कृग्रावि बैंक) के कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना (इस रिपोर्ट के भाग 8.3.2 में विवरण दिया गया है)
  - कृग्रावि बैंकों में सुधारों, पुनर्गठन और नवोन्मेषों पर अध्ययन: नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नाबार्ड की सहायक संस्था) ने इस पर अध्ययन किया तथा रिपोर्ट के मसौदे को सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को विचार और प्रतिक्रिया के लिए प्रस्तुत किया.
  - राष्ट्रीय सहकारिता नीति: नाबार्ड ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति हेतु गठित समिति को नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सुझाव दिए. समिति को 'सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक सक्षम ढाँचा तैयार करने, देश में सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ करने और सहकारिता-आधारित आर्थिक विकास मॉडल के संवर्धन हेतु नई राष्ट्रीय सहकारी नीति का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया है.
  - साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) के रूप में पैक्स: सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड तथा सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच पैक्स के माध्यम से बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/ अद्यतनीकरण, स्वास्थ्य सेवाएँ, पैन कार्ड तथा रेल/बस/हवाई टिकट जैसी 300 से अधिक ई-सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. अब तक, 35,379 पैक्स ने ग्रामीण नागरिकों को सीएससी सेवाएँ उपलब्ध कराने की शुरुआत की, जिसके परिणामस्वरूप इन पैक्स की आय में वृद्धि हो सकती है.

नाबार्ड ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति, जो सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देती है, का मसौदा तैयार करने के लिए सुझाव दिए.

'सहकारी संस्थाओं के बीच सहयोग', सहकारी आंदोलन के मूल सिद्धांतों में से एक है और यह विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं को साथ लाकर उनके बीच तालमेल स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है, ताकि सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ किया जा सके तथा अर्थव्यवस्था में इन संस्थाओं के योगदान को बढ़ाया जा सके.

- **पर्यवेक्षी सहयोग:** नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सरकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (सांविधिक रूप से) तथा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का (स्वेच्छा से) जैसे पर्यवेक्षित निकायों का आवधिक निरीक्षण करता है.

2.7 सहकारिता क्षेत्र के विकास में नाबार्ड की पहलें

2.7.1 सहकारी संस्थाओं के बीच सहयोग

'सहकारी संस्थाओं के बीच सहयोग', सहकारी आंदोलन के मूल सिद्धांतों में से एक है और यह विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं को साथ लाकर उनके बीच तालमेल स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है, ताकि सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ किया जा सके तथा अर्थव्यवस्था में इन संस्थाओं के योगदान को बढ़ाया जा सके. 'सहकारी संस्थाओं के बीच सहयोग' की अवधारणा के संवर्धन की दृष्टि से केंद्रीय सहकारिता मंत्री द्वारा नाबार्ड स्थापना दिवस (12 जुलाई 2023) पर एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई थी जिसके माध्यम से गुजरात के बनासकांठा और पंचमहाल के जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में सहकारी बैंकों के साथ प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों के वित्तीय लेन-देन को बढ़ावा दिया जाना था और सहकारिता के क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण किया जाना था ताकि इसमें आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा सके (विवरण इस रिपोर्ट के शोकेस 6.1 में दिया गया है). इस प्रायोगिक परियोजना की सफलता के पश्चात, दिनांक 15 जनवरी 2024 को गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा गुजरात के सभी जिलों में 'सहकारी संस्थाओं के बीच सहयोग' अभियान शुरू किया गया.

2.7.2 ग्रामीण सहकारी बैंकों में सीबीएस अपग्रेड

नाबार्ड ने ग्रामीण सहकारी बैंकों को कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) प्लेटफॉर्म को अपनाने हेतु प्रेरित किया तथा उन्हें सीबीएस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए सहायता प्रदान की.

चित्र 2.6: सहकारी संस्थाओं में नाबार्ड द्वारा शुरू की गई सीबीएस परियोजना

एईपीएस = आधार आधारित भुगतान प्रणाली, बीबीपीएस = भारत बिल भुगतान प्रणाली, भीम यूपीआई = भारत इंटरफ़ेस फॉर मनी यूनीफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस, सीबीएस = कोर बैंकिंग समाधान, सीकेवाईसीआर = सेंट्रल 'नो योर कस्टमर' रिकॉर्ड रजिस्ट्री, जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, पीएफ़एमएस = सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, ग्रास बैंक = ग्रामीण सहकारी बैंक, रास बैंक = राज्य सहकारी बैंक

अगस्त 2022 में नाबार्ड ने 'ग्रामीण सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पर राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन' शुरू किया. रिपोर्ट में 'अनिवार्य' और 'वांछनीय' मॉड्यूलों की सूची दर्शाई गई जिन्हें नाबार्ड सीबीएस वेंडर के साथ मिलकर सीबीएस प्रणाली में उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है. नाबार्ड, ग्रामीण सहकारी बैंकों को बैंकिंग क्षेत्र की नवीनतम बैंकिंग प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्रदान करने के अपने प्रयासों के तहत केंद्रीयकृत खाता समाहर्ता प्लेटफ़ॉर्म, साइबर बीमा, साझा प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) सर्वर, केंद्रीयकृत भुगतान प्रणाली जैसी पहलों के लिए एक साझा प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराने पर कार्य कर रहा है.

2.7.3 ग्रामीण सहकारी संस्थाओं में सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन

दिनांक 16 और 17 अक्तूबर 2023 को लखनऊ में 'ग्रामीण सहकारी संस्थाओं में सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन' नामक दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लगभग 200 सहभागियों ने भाग लिया और अन्य लोगों ने यूट्यूब पर कार्यवाही को लाइव देखा. इस कार्यशाला में अभिशासन, व्यापार विविधीकरण, मानव संसाधन प्रबंधन, प्रोद्योगिकी अंगीकरण जैसे क्षेत्रों और इन क्षेत्रों में ग्रामीण सहकारी बैंकों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के साथ-साथ इन क्षेत्रों में भावी मार्ग पर भी विचार-विमर्श किया गया.

2.7.4 ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं में फिनटेक की सहभागिता को बढ़ाना

भारत तेजी से डिजिटल बैंकिंग की ओर बढ़ रहा है तथा इस परिवर्तन का मुख्य कारण फिनटेक कंपनियाँ हैं. दिनांक 11 और 12 मार्च 2024 को लखनऊ में नाबार्ड ने ग्रामीण सहकारी (ग्रास) बैंकों में फिनटेक की सहभागिता बढ़ाने हेतु दो दिवसीय फिनटेक कार्यशाला आयोजित की ताकि ग्रामीण सहकारी बैंक ग्रामीण जनों को डिजिटल रूप से सक्षम बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध करा सकें. कार्यशाला का उद्देश्य था फिनटेक/ एग्रीटेक एप्लीकेशनों के बारे में ग्रास बैंकों के बीच जागरूकता उत्पन्न करना, ग्रास बैंकों की प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के बारे में समझ विकसित करना और ग्रास बैंकों तथा फिनटेक/ एग्रीटेक कंपनियों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना. साथ ही, नाबार्ड ने नैबवेंचर के सहयोग से दिनांक 7 सितंबर 2023 को ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में एक पैनल चर्चा आयोजित की जिसका विषय 'फिनटेक और ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय' था.

2.8 आगे की राह

विकास के दृष्टिकोण से ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्थाओं के बीच असमानताएँ चिंता का विषय हैं और ये देश में आय की असमानता को और बढ़ा सकती हैं. कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, जैसे - पशुपालन, वानिकी, और मत्स्यपालन - ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं तथा ग्रामीण रोजगार के सबसे बड़े प्रदाताओं में से एक हैं.

जहाँ एक ओर स्वतंत्र बाजार संगठन हैं (जो वस्तु और सेवाएँ बाजार में लेन-देन के माध्यम से प्रदान करते हैं) और दूसरी ओर राज्य-स्वामित्व वाले संगठन हैं (जो वस्तु और सेवाएँ राज्य नियंत्रण के माध्यम से प्रदान करते हैं), वहीं एक तीसरा विकल्प सहकारी संस्थाएँ हैं, जिनका सर्व-समावेशी सहकारी मॉडल अमृत काल में साम्यिक विकास के लिए सफल और संधारणीय आर्थिक विकल्प प्रदान करता है.

नई भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र को मुख्य आधार के रूप में बढ़ावा देते हुए यह महत्वपूर्ण है कि वर्तमान कमियों को दूर किया जाए. प्रौद्योगिकी अपनाने में कमी, सहकारी समितियों की बाजार भागीदारी में गिरावट के प्रमुख कारणों में से एक रही है. आशा है कि प्राकृऋ समितियों और कृग्रावि बैंकों के कंप्यूटरीकरण से आधार स्तरीय संगठनों के परिचालन का डिजिटलीकरण होगा और उनके परिचालन में बेहतर पारदर्शिता तथा दक्षता आएगी.

नाबार्ड ग्रामीण सहकारी बैंकों हेतु सहकारी अभिशासन सूचकांक (सीजीआई) विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहा है ताकि अभिशासन मानकों की स्थिति का आकलन किया जा सके और उसमें सुधार किया जा सके.

नीति निर्माताओं और कार्यान्वयनकर्ताओं द्वारा सहकारी सिद्धांतों, प्रबंधन, अधिकारों और कर्तव्यों पर सदस्यों की शिक्षा और जागरूकता पर उचित बल दिया जाना चाहिए.

भविष्य में प्रशिक्षित सहकारी कार्यकर्ताओं के कैडर का निर्माण करने की दृष्टि से, सहकारिता संबंधी पाठ्यक्रमों को व्यावसायिक प्रबंधन सहित विद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शुरू करने की आवश्यकता है.

सभी हितधारकों का यह प्रयास होना चाहिए कि ग्रामीण सहकारी बैंक कृषि ऋण में अपना हिस्सा मौजूदा 11% से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक कम से कम 20% और वर्ष 2047 तक 40% करें.

सर्व-समावेशी सहकारी मॉडल अमृत काल में साम्यिक विकास के लिए सफल और संधारणीय आर्थिक विकल्प प्रदान करता है.

नोट्स

1. आईसीए (2023), विश्व सहकारिता मॉनीटर (डब्ल्यूसीएम) रिपोर्ट 2023, अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन. https://monitor.coop/sites/default/files/2024-01/wcm_2023_3101.pdf.
2. राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार. https://cooperatives.gov.in/en
3. अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन https://ica.coop/en/cooperatives/facts-and-figures.
4. https://uidai.gov.in/images/StateWiseAge_AadhaarSat_Rep_31032023_Projected-2023-Final.pdf
5. अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन https://ica.coop/en/cooperatives/facts-and-figures
6. इफ्को = इंडियन फ़ॉर्मर फ़र्टीलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड, अमूल = गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड.
7. आईसीए (2023), टिप्पणी 1.
8. कृभको = कृषक भारती कोऑपरेटिव
9. जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, इस खंड में उद्धृत सभी डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त किए गए हैं. https://cooperatives.gov.in/en.
10. प्राकृऋ समिति (पैक्स) = प्राथमिक कृषि ऋण समिति, एफ़एसएस = कृषक सेवा समिति, लैम्प्स = वृहद क्षेत्र बहुउद्देशीय सहकारी समिति.
11. "पीआईबी (2023), पैक्स की कार्यप्रणाली, पत्र सूचना कार्यालय, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 12 दिसंबर की प्रेस विज्ञप्ति. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1985494#:~:text=New%20Multipurpose%20PACS%2F%20Dairy%2 F%20 Fishery,NCDC%20and%20other%20National%20level.

अध्याय 2 का परिशिष्ट

तालिका अ2.1: भारत में सहकारिता आंदोलन के विकास की महत्वपूर्ण घटनाएँ

वर्ष	*विकास की महत्वपूर्ण घटनाएँ*
1904	**सहकारी ऋण समिति अधिनियम, 1904** • सहकारी ऋण समितियों के लिए कानूनी आधार • सहकारी संस्थाओं के विकास हेतु पंजीयक का कार्यालय • सहकारी ऋण समितियों तक सीमित
1912	**सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912** • बुनकरों, शिल्पकारों, विपणन आदि हेतु गैर ऋण समितियों का गठन • सहकारी समितियों का संघ • मध्यवर्ती सहकारी बैंकों/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का गठन
1915	**मैकलैगन समिति** • 'प्रत्येक गांव के लिए एक सहकारी समिति होनी चाहिए और प्रत्येक गांव को एक सहकारी समिति में शामिल किया जाना चाहिए.' • सहकारी ऋण समितियों की त्रि-स्तरीय संरचना का समर्थन किया- गांव के स्तर पर प्राथमिक समितियाँ, मध्यवर्ती स्तर पर मध्यवर्ती सहकारी बैंक और शीर्ष स्तर पर प्रांतीय सहकारी बैंक. • भूमि बंधक बैंकों (वर्तमान में कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) की स्थापना की सिफारिश की.
1919	**भारत सरकार अधिनियम, 1919** • सहकारिता का विषय संघ से प्रांत के स्तर पर स्थानांतरित.
1928	**कृषि पर रॉयल आयोग** • पंजीयकों के सम्मेलन (1926) में पारित संकल्प की पुष्टि की, जिसमें कृषि हेतु दीर्घकालिक ऋण देने के उद्देश्य से भूमि बंधक बैंकों की स्थापना की सिफारिश की गई थी. • राज्य को सहकारी संस्थाओं को संरक्षण देना चाहिए तथा सहकारी क्षेत्र की सुरक्षा करनी चाहिए.
1935	**भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना** • भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 ने भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए कृषि ऋण विभाग स्थापित करने की अनिवार्यता निर्धारित की.
1937	• **मेहता समिति** ने सहकारी ऋण समितियों को बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के रूप में पुनर्गठित करने की सिफारिश की • बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध ने बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के विकास को गति प्रदान की क्योंकि मुद्रास्फीति और कमी का मुकाबला करने के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से वस्तुओं की अधिप्राप्ति और वितरण किया गया.
1942	एक से अधिक राज्यों में संचालित सहकारी समितियों को विनियमित करने के लिए **बहु-इकाई सहकारी समिति अधिनियम, 1942**
1946	**दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना** गुजरात में डेरी किसानों को बिचौलियों के शोषण से मुक्त करने के लिए, कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, जिसे अब 'अमूल' के नाम से जाना जाता है, का गठन 14 दिसंबर 1946 को किया गया था (विवरण शोकेस 2.1 में दिया गया है).
1951	**अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति** की सिफारिशों के कारण निम्नलिखित उपायों के माध्यम से सहकारी समितियों के ऋण गतिविधियों के समन्वय और पर्यवेक्षण में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका तय की गई. • राज्य सरकारों को सहकारी संस्थाओं के शेयर पूँजी में भागीदारी के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया जाना • भूमि बंधक बैंकों के लिए ऋण प्रदान किया जाना • राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि की स्थापना

वर्ष	*विकास की महत्वपूर्ण घटनाएँ*
1963	• **कृषि पुनर्वित्त निगम** की स्थापना, जिसे बाद में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम नाम दिया गया - केंद्रीय भूमि बंधक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (सहकारी संस्थाओं के शेयरधारक) और सहकारी समितियों के पूरी तरह से गारंटीकृत ऋण-पत्रों को पुनर्वित्त/ प्रत्यक्ष ऋण/ अंशदान प्रदान करने के लिए • राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना - सहकारी सिद्धांतों पर कृषि उपज, खाद्य उत्पादों, पशुधन आदि के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात को बढ़ावा देने के लिए.
1965	• संपूर्ण भारत में डेरी किसानों की एकीकृत सहकारी संरचना के आणंद मॉडल की प्रतिकृति के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की स्थापना, जिसने बाद में ऑपरेशन फ्लड की नींव रखी.
1966	**विनियामक फ्रेमवर्क का प्रवर्धन** • भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और बाद में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के चुनिंदा प्रावधानों को दिनांक 1 मार्च 1966 से सहकारी बैंकों पर लागू किया गया था ताकि उनके बैंकिंग व्यवसाय को विनियमित किया जा सके और जमाराशियों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जा सके. इस प्रकार, वे देश की बैंकिंग प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन गए.
1979	**क्राफीकार्ड समिति** • नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश • सहकारी ऋण संरचना - छोटे राज्यों में द्वि-स्तरीय और बड़े राज्यों में त्रि-स्तरीय • प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा सभी प्रकार के ऋण का वितरण और भूमि बंधक बैंकों के एजेंट के रूप में कार्य • प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा जमाराशि संग्रहण
1982	**नाबार्ड की स्थापना** • दिनांक 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड अस्तित्व में आया जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि और ग्रामीण विकास निगम के पुनर्वित्त कार्यों को हस्तांतरित किया गया. भारतीय रिज़र्व बैंक में स्थापित राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि नाबार्ड द्वारा ले ली गई थी.
1990	**मॉडल सहकारी अधिनियम पर समिति** • चौधरी ब्रह्म प्रकाश की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर, स्वायत्त और पूरी तरह से लोकतांत्रिक संस्थाएँ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया. • इसने सहकारी क्षेत्र के कामकाज में राज्य सरकारों के हस्तक्षेप को कम करने के लिए एक मॉडल कानून का प्रस्ताव रखा. • कुछ राज्यों ने एक समानांतर सहकारी कानून बनाया और आत्मनिर्भर / पारस्परिक रूप से सहायता प्राप्त सहकारी समितियों को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए परस्पर सहायता प्राप्त सहकारी समिति अधिनियम पारित किया, जिन्हें सरकार से कोई सहायता नहीं मिली है.
2002	• **बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002** - मॉडल सहकारिता अधिनियम की सिफारिशों की मूल भावना के अनुरूप अधिनियमित किया गया. बहु-राज्य सहकारी समितियों को विनियमित करने के लिए. • **राष्ट्रीय सहकारी नीति, 2002** सहकारी संस्थाओं के सर्वांगीण विकास की सुलभ लिए तैयार की गई. • **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम में संशोधन** किया गया ताकि उपयुक्त प्रतिभूति के समक्ष सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष वित्त पोषण किया जा सके.
2004	**सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरूद्धार पर कार्यदल** • कार्यदल ने ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं को पुनर्जीवित करने और इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक कानूनी/संस्थागत उपायों के लिए सिफारिशें कीं. • उक्त सिफारिशों के आधार पर, जनवरी, 2006 में ₹ 13,596 करोड़ के परिव्यय से एक वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई थी, जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा ₹ 9,245 करोड़ था. पैकेज दिनांक 30 जून 2011 को बंद कर दिया गया था • इस पैकेज का उद्देश्य दिनांक 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार कृषि ऋण और गैर-ऋण व्यवसायों से उत्पन्न संचित हानियों को समाप्त करना और सीआरएआर को 7% के स्तर तक बढ़ाना था.
2011	**संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम, 2011** • सहकारी समितियों के गठन का मौलिक अधिकार: सहकारी समितियों के गठन को नागरिकों का मौलिक अधिकार बनाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ग) में संशोधन किया गया. • सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए निर्देश: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नया अनुच्छेद 43ख जोड़ा गया, जिसमें राज्य (सरकार) को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया.
2012	**नाबार्ड ने सहकारी संस्थाओं हेतु सीबीएस परियोजना शुरू की** • नाबार्ड ने सभी सहकारी बैंकों को सीबीएस प्लेटफॉर्म पर लाने की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान किया. • 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 201 ग्रामीण सहकारी बैंकों (14 राज्य सहकारी बैंक और 187 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक) को सीबीएस प्लेटफॉर्म में शामिल होने में सहायता प्रदान की गई.

वर्ष	*विकास की महत्वपूर्ण घटनाएँ*
2014	• भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रास बैंकों और जिमस बैंकों के लिए **न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता मानदंड** लागू किए गए रास बैंकों और जिमस बैंकों को दिनांक 31 मार्च 2015 तक 7% और 31 मार्च 2017 तक 9% का सीआरएआर प्राप्त करना था. • **4 राज्यों के 23 गैर-लाइसेंसीकृत जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों** (उत्तर प्रदेश में 16, महाराष्ट्र में 3, जम्मू व कश्मीर में 3 और पश्चिम बंगाल में एक), जो लाइसेंसिंग हेतु निर्धारित आवश्यकता को पूरा नहीं करते थे, के पुनरुत्थान की योजना - ₹ 2,375.4 करोड़ (भारत सरकार का हिस्सा ₹ 673.3 करोड़) की वित्तीय सहायता के साथ.
2020	**बैंककारी विनियमन अधिनियम (संशोधन), 2020** • बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के संशोधित प्रावधान दिनांक 1 अप्रैल 2021 से राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों पर लागू किए गए. • इन संसोधनों के माध्यम से बैंकों को पूँजी तक बेहतर पहुँच उपलब्ध कराने के साथ-साथ बेहतर अभिशासन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निगरानी के जरिये जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण करने और इन बैंकों के सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया.
2021	**केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय** • दिनांक 6 जुलाई 2021 को 'सहकार से समृद्धि' का लक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से एक विशेष मंत्रालय- सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई. • स्थापना के बाद से इस मंत्रालय द्वारा सहकारी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 54 से अधिक प्रमुख पहलें शुरू की जा चुकी हैं.

तालिका अ2.2: क्षेत्र-वार सहकारी समितियों की सदस्यता (2023)

वर्ग	*समतियों की संख्या (लाख में)*	*सदस्यों की संख्या (लाख में)*	*प्रति समिति सदस्य (संख्या)*	*क्षेत्र-वार समितियाँ (प्रतिशत में)*	*क्षेत्र-वार सदस्य (प्रतिशत में)*
आवास	1.92	147	76	24	5
डेयरी	1.42	157	111	18	5
प्राकृऋ समति–कृसे समिति–वृक्षेबउस समिति	1.04	1,399	1,342	13	48
ऋण और बचत	0.80	433	541	10	15
श्रम	0.45	15	33	6	1
विविध और गैर-ऋण	0.30	25	83	4	1
कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र	0.27	98	365	3	3
मत्स्यापलन	0.26	47	182	3	2
महिला कल्याण	0.24	54	223	3	2
कृषि – प्रसंस्करण/उद्योग	0.23	25	111	3	1
उपभोक्ता	0.21	64	303	3	2
बहुउद्देशीय	0.20	26	129	2	1
हथकरघा बुनकर	0.20	52	263	2	2
अन्य	0.47	371	786	6	13
कुल	**8.00**	**2,913**	**364**	**100**	**100**

एआरसी = कृषि पुनर्वित्त निगम, एआरडीबी = कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, सीबीएस = कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सीसीबी = मध्यवर्ती सहकारी बैंक, क्रैफिकार्ड = कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण हेतु व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए समिति, सीआरएआर = जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात, डीसीसीबी = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, एलडीबी = भूमि विकास बैंक, एलएमबी = भूमि बंधक बैंक, प्राकृऋ समिति = प्राथमिक कृषि ऋण समिति, कृसे समिति = कृषक सेवा समिति, वृक्षेबउस समिति = वृहद क्षेत्र बहु उद्देशीय सहकारी समिति.

नोट : प्राकृऋ समिति तथा 'ऋण और बचत समिति' के बीच अंतर यह है कि ऋण और बचत समिति अपने सदस्यों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से सदस्य द्वारा की गई बचतों पर निर्भर होती हैं. प्राकृऋ समिति मूल रूप से बचत-केंद्रित ऋण संस्थाएँ थीं, लेकिन समय के साथ ये ऋण वितरण के चैनलों में बदल गई हैं, जो पुनर्वित्त की सुविधा प्राप्त कर ऋण वितरण का काम करती हैं और जमाराशियाँ जुटाने पर सीमित ध्यान देती हैं (केरल जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर).

स्रोत: राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार. https://cooperatives.gov.in/en.

तालिका अ2.3: राज्य-वार सहकारी समितियों की सदस्यता (2023)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	*सहकारी संस्थाएँ*	*कुल सदस्य*	*अनुमानित कुल जनसंख्या पर सहकारिताओं के सदस्यों का प्रतिशत*
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,215	144,584	35.9
आंध्र प्रदेश	17,803	9,597,143	18.1
अरुणाचल प्रदेश	1,197	89,545	5.7
असम	11,148	4,318,231	12.1
बिहार	26,640	15,998,540	12.6
चंडीगढ़	476	49,721	4.0
छत्तीसगढ़	9,171	4,731,974	15.7
दिल्ली	5,943	1,569,276	7.3
गोवा	5,439	1,578,643	100.2
गुजरात	81,432	16,873,870	23.6
हरियाणा	32,466	5,464,638	18.1
हिमाचल प्रदेश	5,140	1,825,892	24.4
जम्मू और कश्मीर	8,778	896,054	6.6
झारखण्ड	11,455	2,093,817	5.3
कर्नाटक	44,854	33,501,183	49.5
केरल	6,103	27,325,326	76.4
लद्दाख	260	25,197	8.4
लक्ष्यद्वीप	35	84,393	122.3
मध्य प्रदेश	51,787	13,443,329	15.5
महाराष्ट्र	222,069	57,973,552	45.9
मणिपुर	11,256	829,340	25.7
मेघालय	2,656	240,205	7.2
मिजोरम	1,229	49,466	4.0
नागालैण्ड	8,118	310,933	13.9
ओडिशा	7,578	8,709,507	18.8
पुदुचेरी	458	463,802	33.7
पंजाब	19,061	3,434,928	11.2
राजस्थान	35,942	11,075,332	13.7
सिक्किम	3,793	116,193	16.9
तमिलनाडु	21,833	23,934,636	31.1
तेलंगाणा	60,112	14,300,725	37.5
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	530	46,633	7.2
त्रिपुरा	3,142	511,559	12.3
उत्तर प्रदेश	43,558	18,478,449	7.8
उत्तराखण्ड	5,318	1,601,973	13.8
पश्चिम बंगाल	31,208	9,591,686	9.7
कुल	**800,203**	**291,280,275**	**21.0**

नोट: कुल सदस्यों के आंकड़ों में, एक व्यक्ति की सदस्यता एकाधिक समितियों में शामिल हो सकती है.

स्रोत:

- सहकारी संस्थाओं की संख्या और सदस्यता से संबंधित डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार https://cooperatives.gov.in/en से लिया गया है.
- अनुमानित जनसंख्या का डेटा यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लिया गया है